राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–3/जांच) विभाग

क्रमांकः प.1(89)कार्मिक/क–3/जॉच/2021 जयपुर, दिनांकः 21 JUL 2021

आदेश

श्री कैलाश चन्द गुर्जर, आर.ए.एस., उपखण्ड अधिकारी, बून्दी के विरूद्व विभागीय जॉच कार्यवाही विचाराधीन है।

अतः राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम–13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार श्री कैलाश चन्द गुर्जर, आर.ए.एस., उपखण्ड अधिकारी, बून्दी को तुरंत प्रभाव से राज्य सेवा से निलम्बित करने के एतद्द्वारा आदेश प्रदान करती है।

श्री कैलाश चन्द गुर्जर, आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी बून्दी का निलम्बन काल में मुख्यालय, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के कार्यालय में रहेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(शंकर लाल रहेजा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव/विशिष्ट सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. शासन संयुक्त सचिव, राजस्व (ग्रुप–1) विभाग को उनकी पत्रावली क्रमांक प.10(17)राज–1/2021 के क्रम में प्रेषित कर लेख है कि श्री कैलाश चन्द गुर्जर आर.ए.एस. (निलम्बित) के विरूद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 23.05.2002 एवं 19.05.2016 के अनुरूप अनुशासनिक कार्यवाही के परिपूर्ण प्रस्ताव सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरांत शीघ्र इस विभाग को भिजवाने की व्यवस्था करावें।
5. शासन संयुक्त सचिव, कार्मिक (क–4/1) विभाग को श्री कैलाश चन्द गुर्जर आर.ए.एस. (निलम्बित) के निलम्बन आदेश की प्रति संलग्न कर लेख है कि कृपया उक्त निलम्बन आदेश श्री कैलाश चन्द गुर्जर, आर.ए.एस. (निलम्बित) को तामील कराकर प्राप्ति रसीद शीघ्र इस विभाग को भिजवाने की व्यवस्था करावें। साथ ही श्री कैलाश चन्द गुर्जर, आर.ए.एस. (निलम्बित) को निलम्बित अधिकारियों हेतु रखी गई उपस्थिति पंजिका में भी उपस्थिति दर्ज करने हेतु निर्देशित करें। इसके अतिरिक्त इन्हें यह भी निर्देशित करें कि वे अपना मुख्यालय प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना नहीं छोड़े। श्री कैलाश चन्द गुर्जर, आर.ए.एस. (निलम्बित) को निलम्बन अवधि में उनके अवकाश वेतन के बराबर उस सीमा तक यदि वे अर्द्धवेतन अवकाश पर रहते, के बराबर निर्वाह भत्ता एवं ऐसे वेतन पर अन्य भत्ते देय होंगे।
6. श्री कैलाश चन्द गुर्जर, आर.ए.एस. (निलम्बित) को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग के कार्यालय में इस प्रयोजनार्थ रखी गयी उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति अंकित करें। उन्हें यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना मुख्यालय नहीं छोड़े।
   द्वाराः– शासन संयुक्त सचिव
   कार्मिक (क–4/1) विभाग।
7. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
8. शासन सहायक सचिव, कार्मिक (क–1/गो.प्र.) विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर/बून्दी।
10. कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
11. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव